राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांकः प.4(9)वित्त/आबकारी/2001–पार्ट   दिनांकः 19 अप्रेल, 2017

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला धौलपुर में पंचायतीराज संस्थाओं के उप–चुनाव की तिथि में संशोधन हेतु पत्र क्रमांकः एफ.7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2016/1178 दिनांक 18.04.2017 (प्रति संलग्न) जारी किये जाने के कारण इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.03.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए धौलपुर जिले में पंचायत समिति बसेडी के वार्ड सं0 15 के निर्वाचन क्षेत्र एवं उससे लगते हुए 5 किमी परिधीय क्षेत्रों में **दिनांक 21.04.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 23.04.2017 को सायं 5.00 बजे तक तथा मतगणना दिनांक 25.04.2017 को मतणना समाप्ति तक एवं पंच/सरपंच के निर्वाचन क्षेत्रों एवं इनसे लगते हुए 5 किमी परिधीय क्षेत्रों में दिनांक 21.04.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 23.04.2017** को मतगणना समाप्ति तक **सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांकः एफ.7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2016/1178 दिनांक 18.04.2017 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्यनिषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, धौलपुर।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, भरतपुर।
10. जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2016/ 1170 दिनांकः 18/4/17

प्रमुख शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

वित्त (आबकारी) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 2785
दिनांक 19 APR 2017

विषयः— पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव मार्च, 2017 — जिला धौलपुर हेतु उपचुनाव की नवीन तिथियों के संबंध में।

संदर्भः— आयोग का पत्रांक 596/03.03.2017

पृष्ठ 138/सी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं में माह मार्च, 2017 के उपचुनाव हेतु चुनाव कार्यक्रम प्रेषित किया गया था। धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र—79 के उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा धौलपुर जिले में पंचायत समिति बसेडी के वार्ड संख्या—15 के सदस्य तथा दो सरपंच एवं पांच पंचों हेतु उपचुनाव/मतगणना हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों में संशोधन किया गया था। नवीन कार्यक्रम के अनुसार उक्त दोनों पदों हेतु मतदान दिनांक 23.04.2017 एवं मतगणना दिनांक 25.04.2017 को होगी। मतगणना जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) द्वारा निर्धारित स्थान पर होगी। पंच/सरपंच के चुनाव की मतगणना मतदान दिवस को ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर ही होगी, जो देर रात्रि तक पूरी होगी।

JSF (Excise)

अतः धौलपुर जिले में पंचायत समिति बसेडी के वार्ड संख्या—15 के निर्वाचन क्षेत्र एवं इनसे लगते हुए 5 कि.मी. परिधि में दिनांक 21.04.2017 को सायं 5 बजे से दिनांक 23.04.2017 को सायं 5 बजे तक तथा मतगणना दिनांक 25.04.2017 को मतगणना समाप्ति तक एवं पंच/सरपंच के निर्वाचन क्षेत्रों एवं इनसे लगते हुए 5 कि.मी. परिधि में दिनांक 21.04.2017 को सॉय 5 बजे से दिनांक 23.04.2017 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया जाना है।

अतः उक्तानुसार आदेश प्रसारित करने का श्रम करें।

Urgent

(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

4057
19/4

प्राप्ति
19 APR 2017

C:\Users\Sanjay-Panchayat\Desktop\F4(1)(3) NP SEC 2016_bye-election December,2016.doc
17